

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 1973/भाद्र 1, 1895

No. 193] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 23, 1973/BHADRA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd August 1973

SUBJECT.—*Licensing conditions relating to import from Canada of equipment and/or machinery and/or services under Canadian Development Line of Credit dated 16th July, 1971 as amended on March 31, 1973 for C \$ 20 million.*

No. 139-ITC(PN)/73.—The terms and conditions relating to imports from Canada of equipment and/or machinery and/or services under Canadian Development Line of Credit, dated the 16th July, 1971 as amended on March 31, 1973 for C \$ 20 million, as given in Annexure to this Public Notice are notified for information.

ANNEXURE

Licensing conditions relating to import from Canada of equipment and/or machinery and/or services under Canadian Development Line of Credit dated the 16th July, 1971 as amended on March 31, 1973 for C \$ 20 million.

1.1. The licence will be issued with an initial validity of four months or upto May 31, 1974, whichever is earlier. Firm orders must be placed on the suppliers within the initial validity period. If orders cannot be placed within this period, the licence should be submitted for revalidation giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed. Such requests will be considered on merits by the CCI&E in consultation with the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) where necessary.

1.2. While purchase orders/contracts may be concluded on FAS, FOB/CIF or C & F basis, Canadian International Development Agency (CIDA) will finance only the FAS or, in the case of bulk shipments, FOB costs Canadian Port or a portion thereof.

1.3. After orders have been placed, licensees should approach the CCI&E for revalidation to cover shipments and payments with documentary proof of firm orders having been placed and an indication of the contractual date(s) of shipment(s).

2. All shipments and payments must be completed within one month of the expiry of the licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. No credit facility of any kind will be permitted.

Purchase Requirements:

3.1. Procurement of goods and services should be made in accordance with sound business practices. The Importers can call for tenders, negotiate a contract or continue to deal with his original Canadian supplier as he deems appropriate. Information on Canadian suppliers can be obtained from the Canadian High Commission, New Delhi.

3.2. While inviting tenders or giving due publicity or negotiating a contract, the importer shall:

- (i) as far as possible indicate the technical specifications of the items to be procured in terms of Canadian standards and indicate the Canadian equivalent in case he has to adopt other than Canadian standards.
- (ii) make it clear to the suppliers that each offer or order should have a minimum Canadian Content of 40 per cent. The supplier should be asked to indicate in all cases the percentage of Canadian content of the item in question both by percentage and value (in Canadian dollar).
- (iii) require the suppliers to indicate specifically the FAS (and, in the case of bulk shipments ordered on FOB, the FOB) cost, and separately the costs of ocean freight and insurance.
- (iv) ask the suppliers to indicate the Indian agents commission, if any separately and clearly advise him that this commission will be paid in India in Indian Rupees.

4.1. CIDA will finance the entire FAS/FOB value of equipment and machinery having Canadian Content of 66-2/3 per cent or more. Equipment and machinery with less than 66-2/3 per cent but not less than 40 per cent Canadian Content is eligible for partial financing under this credit on cost-sharing basis in accordance with the following formula:

1. Share of the Canadian International Development Agency (CIDA) i.e. out of the Canadian Credit—Actual Canadian FAS/FOB Content 66-2/3 per cent X Value of equipment.
2. GOI Share, to be financed with free foreign exchange—Value of equipment less CIDA share.

Accordingly, in cases where the Canadian Content falls below 66-2/3 per cent. and as a consequence, CIDA will not finance the full FAS/FOB cost, the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs on an application being made to them by the importer as detailed in para 6 below, would release initially free foreign exchange covering the FAS/FOB value of the equipment, in addition to the release of an amount to cover freight and insurance. The free foreign exchange released for FAS/FOB value of equipment would be got reimbursed partially from CIDA on the basis of the cost-sharing formula on the submission by the importer of shipping and other documents, detailed in subsequent paragraphs.

4.2. While requesting for release of Canadian Credit for import of spare parts of equipment and/or machinery previously financed from CIDA funds, the importer shall identify the source of original financing and the name(s) of original suppliers of such equipment/machinery.

5. It will not be necessary to invite tenders or give due publicity in one or more of the following situations:—

- (i) when procurement is proposed under certain supplier/importer relationship and the importer is a recognised traditional customer of the supplier.

- (ii) when procurement concerns an item(s) available from a specific supplier only.
- (iii) when the item(s) to be procured is (are) by nature and specification peculiar to the specific manufacturing process or end products.

6. Purchase Contracts

6.1. The value of contracts should be expressed in Canadian dollars. Indian Agent's Commission, payable in Indian Rupees, will be debited against the Exchange Control Copy of the Import Licence.

6.2. Copy of each purchase order or contract including all amendments should be forwarded to CIDA. Two such copies (together with a copy of the letter of approval of CIDA where applicable) are to be forwarded to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

7.1. Bank Guarantee

In cases where the Canadian Content of an equipment is 66-2/3 per cent or more and hence direct payment procedure by CIDA to suppliers would be involved, the importer will have to furnish a Bank Guarantee in the form attached (Appendix 'A') from an authorised dealer in foreign exchange in India for the full FAS/FOB (in case of bulk shipments) cost of orders placed against the import licence plus 1 per cent thereof converted at the old composite rate of Rs. 701=Canadian \$100 (with a provision that the Bank undertakes to make such additional deposits as may be necessary in terms of late Ministry of Foreign Trade Public Notices No. 133-ITC(PN)/70 dated 4th September 1970 and 108-ITC(PN)/72 dated 21st July, 1972 and the value of the Bank Guarantee stands automatically adjusted due to any further change in the composite rate). The Bank guarantee should be executed on a non-judicial stamp paper, the value of the stamp being adjudicated by the Collector of Stamps in accordance with the provisions of Section 31 of the Stamp Act, 1899. (No bank guarantee is required from Public Sector Projects if the import is arranged through any branch of the State Bank of India or its subsidiary or any of the nationalised banks). On receipt of Bank Guarantee, the Department of Economic Affairs will send one copy of the purchase order to CIDA, Ottawa, through the Canadian High Commission authorising them to issue a confirmatory purchase order to the Canadian supplier.

7.2. In cases where the Canadian Content of equipment is less than 66-2/3 per cent but not less than 40 per cent the importer shall submit his application for release of free foreign exchange to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, 10, Parliament Street, New Delhi 110001. The application shall be supported by two copies of the purchase order or contract (*vide* para 8.2 below) (together with a copy of approval from CIDA where applicable). The applicant shall also furnish information regarding the percentage of the Canadian Content of the item(s) both by percentage and value in Canadian dollars. No bank guarantee need to be furnished in such cases. No L/C may be opened or remittances made in such cases without specific authorisation from the Controller of Aid Accounts.

8. Instructions from importer to supplier:

8.1. The purchaser shall instruct the Canadian supplier to submit to CIDA.

- (a) a copy of the Canadian Content Declaration Form (Appendix 'B') except in the case of services;
- (b) a declaration that the price quoted or charged is fair and reasonable (Appendix 'C'); and
- (c) a copy of the offer of sale or purchase contract (including all amendments) between the Canadian supplier and the purchaser.

8.2. The purchase order should contain precise details as follows:—

- (a) Detailed specification, quantity, unit of measure and price of the materials or equipments to the supplier.
- (b) Detailed delivery instructions.
- (c) Percentage of Canadian Content of the equipment.
- (d) Information that where the Canadian Content of the equipment etc. imported under the Canadian Credit is 66-2/3 per cent and above, the

FAS costs Canadian seaport, including all terminal charges, or FOB vessel costs in the case of bulk shipments, will be paid by CIDA, and where the Canadian content is less than 66-2/3 per cent but not less than 40 per cent, the entire FAS/FOB costs will be paid by the importer through normal banking channels; the Indian Agent's Commission, if any, will be paid in Indian rupees in all cases.

- (e) Advice concerning the arrangements which will be made for insurance and booking and payment of ocean freight and the mode of transportation.
- (f) The name and address of the ultimate consignee, the notifying party (if applicable) and the port of discharge.
- (g) In cases where Canadian content is 66-2/3 per cent or more, the purchaser shall give instructions to suppliers that they should send by FAST AIR MAIL the negotiable shipping documents to the designated Indian Bank (a branch of State Bank of India or of any of the nationalised banks in the case of Public Sector Undertakings) simultaneously they submit their invoices (one original with 3 copies thereof) 3 copies of non-negotiable bills of landing or acceptable dock receipts accompanied by inspection, weight and analysis certificates to CIDA, Ottawa for payment. Subsequently, after receiving payment from CIDA, the suppliers should indicate by Air Mail, the date and amount of payment to the importers and their bank and also to the Economic Aid Accounts Branch of the Department of Economic Affairs. While submitting documents to CIDA for payment, the suppliers should certify to CIDA that (a) they have despatched original shipping documents to the bank in India by Air Mail, and (b) immediately after receiving payment, they would intimate to the importers, their bankers and to the Department of Economic Affairs by Air Mail the amount and the date of payment by CIDA.

In case where Canadian content is less than 66-2/3 per cent.—In case where the equipment and/or machinery has Canadian content less than 66-2/3 per cent but not less than 40 per cent, the negotiable shipping documents (with 2 copies thereof) and the invoices (one original with 5 copies thereof), 5 copies of non-negotiable bills of landing or acceptable dock receipts accompanied by inspection, weight and analysis certificates (with two copies thereof) with an indication separately of the FAS/FOB cost which will not be financed by the CIDA on the basis of the cost-sharing formula should be forwarded by East-Air-Mail to the designated Indian Bank who will remit the payments to the supplier through normal banking channels and release the documents to the importer. The Indian bank should immediately after payment is made to the supplier arrange to send to the Economic Aid Accounts Branch, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, 10 Parliament Street, New Delhi two copies of the shipping documents 4 copies of invoices, 4 copies of non-negotiable bills of landing or acceptable dock receipts accompanied by two copies of inspection, weight and analysis certificates, to enable the latter to obtain reimbursement for a portion of the FAS value of the imported items on cost-sharing basis mentioned under para 4.1.

- (h) In the case of services, instructions to the supplier to send to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi, the claim in duplicate for certification as to their correctness and for subsequent forwarding to CIDA for payment.

NOTE.—Once a purchase contract is placed on Canadian Supplier, it is considered binding.

9. Report on Ordering

A quarterly report of orders placed as in the form Appendix 'D' attached herewith should be sent by the importer within 15 days of the end of each quarter to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch and C.E. Section (Separate copies), and to the Foreign Exchange Section of Ministry of Industrial Development, Udyog Bhavan, New Delhi. The report should continue to be sent until the import licence is fully utilised.

16. *Payments against import licence:*

(a) *Where the items of import have 66-2/3 per cent or more of Canadian content.*—(i) The import licence will not be valid for remittance of FAS or FOB cost (Canadian Port) from India, as the same will be paid in Canada out of the relevant Canadian Credit. Foreign Exchange necessary for other items will be provided for in the import licence itself and will be remittable on the basis of the Exchange Control copy of the licence which will be valid for such payment. The Canadian suppliers will be paid the FAS or FOB cost directly by the CIDA on submission of the prescribed documents.

(ii) The Indian Bank which has furnished the guarantee in the case of private importers will receive the original shipping documents from the Canadian suppliers but should release the documents only after ensuring that the importer has deposited into the Government of India's account the rupee equivalent of the FOB/FAS cost of the import paid to the supplier by the CIDA the rupee equivalent being calculated at the exchange rate notified in late Ministry of Foreign Trade Public Notices No. 133-ITC(PN)/70, dated 4th September, 1970 and 108-ITC(PN)/72 dated 21st July, 1972 and also interest @ 6 per cent per annum on the amount of deposit calculated for the period commencing from the date of payment to the Canadian supplier by CIDA to the date of deposit of the said rupee equivalent. The necessary rupee deposits relating to FOB/FAS cost and interest must be arranged to be made within 7 days of receipt of documents and advice of payment by the Indian Bank. The Head of Account to which the amounts should be credited is given below:—

"Deposits and advances—Part II Deposits not bearing interest—Other Deposit account Civil Deposits—deposits of cost of material and equipment procured under Canadian Development Line of Credit dated 16th July, 1971 as amended on March 31, 1973 for C\$ 20 million."

IMPORTANT NOTE.—It should be noted very carefully that the said Exchange rate is the prevailing composite rate of exchange and is subject to change which, as and when decided upon by the Government of India, will be communicated to the Importers/bankers.

(b) *Where the items of import have Canadian Content less than 66-2/3 per cent but not less than 40 per cent.*—(i) The Canadian suppliers will be paid the FAS or FOB cost by Importers through normal banking channels on receipt of prescribed documents from the supplier, out of the free foreign exchange released by Government of India, *vide* para 4.1 above.

(ii) The Indian Bank or the State Bank of India as the case may be through which remittance is arranged to the Canadian suppliers will receive the original shipping documents from the Canadian suppliers but should release the documents to the Importer only after ensuring that the remittance to the suppliers as mentioned in preceding para has been made by the Bank.

(c) (i) The deposits mentioned in para 10(a)(ii) shall be made normally at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Delhi; where this is not feasible it is permissible to remit by means of a demand draft drawn on and in favour of the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi, *vide* the instructions contained in Public Notices No. 233-ITC(PN)/68, dated 24th October, 1968 and 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971. The importer should also fill in duplicate form "S" incorporated in Annexure II to Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated 30th August, 1968 and present the same to the bank while arranging for rupee deposits in accordance with the procedure prescribed in the Public Notice.

(ii) The Indian Bank concerned shall send one copy of the treasury Challan from the Reserve Bank of India or the State Bank of India to the Finance Ministry, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, Jeevan Deep Building, 10 Parliament Street, New Delhi alongwith a forwarding letter giving full details of the import and full sets of prescribed documents. In cases covered by para 10(h), all documents without treasury challan would be sent to the Ministry of Finance. When all imports against an import licence are completed and the Importers' bank applies for release of bank guarantee such requests should invariably be made in the form indicated in Appendix 'F' accompanied by a certificate from importer confirming that wherever loss or damage to goods in transit or short landing of goods has occurred, suitable claim related to it has been preferred along with details thereof. It should be noted that unless these are complied with, release of bank guarantee will not be considered.

(d) In the case of import of goods having 66-2/3 per cent or more of Canadian content, the Indian Bank concerned will verify, before making remittance of ocean freight amounts, that the necessary recoveries on account of FOB/FAS cost of goods paid by CIDA and also for interest charges at 6 per cent per annum from date of payment to date of deposit, have been made and the amounts credited to Government Account.

11. Ocean freight and inspections

The importer shall be responsible for the arrangement and payment of:—

- (a) the cost of ocean freight and insurance, preferably by an irrevocable Letter of Credit deposited with a Canadian bank and negotiable by the agency appointed by him to arrange ocean shipping and insurance.
- (b) the inspection of materials (other than that normally provided by the supplier in the form of manufacturer's warranty), where necessary, prior to packing and shipping.
- (c) unloading and internal distribution of goods after arrival at the Indian port.

12. Insurance

CIDA should be advised immediately concerning any shortages, damages or losses directly attributable to the ocean carrier for which it is intended to place a claim on the insurance company, the cost of preferring such claim being borne by the importer.

Should the importer receive directly or indirectly any payment of marine insurance resulting from claims for loss or damage under a marine insurance policy, he shall immediately notify CIDA of such payment and shall use such proceeds to replace the equipment or materials or portion thereof with like goods from Canadian sources.

13. Disputes

The importer shall note that the Government will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise.

14. Future Instructions

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence.

15. Breach or violations

Any breach or violation of the Conditions set forth in the clauses mentioned above would result in appropriate action under the Import and Export (Control) Act.

APPENDIX 'A'

To

The President of India,
through Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs.
New Delhi.

Sir,

In consideration of the President of India hereinafter referred to as 'the Government' having agreed to arrange for payment in foreign currency of the price of goods to be imported by.

- | | |
|-------------|---|
| (i) | } Individual/partners working under
the name and style of Messrs. |
| (ii) | |
| (iii) | |
| (iv) | |

(Name & address(es))

..... a company having its registered office at
in the State of hereinafter referred to as the Importers under

Import Licence No. dated granted for rupees, we hereby guarantee that we shall arrange to deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi/ State Bank of India, Delhi, or by means of Demand Draft drawn on and in favour of State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi in the manner and against the appropriate Head of Account as stated in the Licensing Conditions.

- (i) Within 7 days of the receipt of the advice of payment, with shipping documents, from the Canadian suppliers of rupee equivalent of the F.A.S. cost in Canadian dollars disbursed by the Government of Canada (CIDA) to the suppliers, at the rate of Rs. 701-C \$ 100 alongwith interest thereon at 8 per cent per annum from the date of payment of Canadian suppliers to the date of deposit of the rupee equivalent.
- (ii) Within 7 days of the demand by the Government, such additional amount as may be demanded by the Government as being due on account of service charges.

2. We undertake to pay to the Government on demand and without demand such sum not exceeding rupees (plus interest and service charges as aforesaid) as may be demanded by the Government in the event of the Importers failing or neglecting to make any of the above mentioned said payments and the decision of the Government as to such failure or neglect on the part of Importers and as to the amount payable to the Government by us hereunder shall be final and binding on us.

3. We, ... agree and undertake not to release shipping documents to the Importer until after the rupee equivalent as aforesaid and the other dues, if any, as demanded by Government are deposited to the credit of the Government.

4. We, ... agree and undertake not to revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the Government of India.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importers or of our Bank.

6. The Government shall have the fullest liberty without affecting this guarantee to vary any of the terms of the Import Licence detailed above or to extend the time for payment by the Importers from time to time or to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importers and we, ... shall not be released from our liability under this guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the amount aforesaid or by reason of any such variation or extension of time being given to the Importers or any forbearance or commission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importers or by any of the matters or things whatsoever which under the law relating to sureties shall but for this provision have the effect of so releasing us Bank from our such liability.

Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs. (plus interest and service charges as aforesaid not expected to increase 1 per cent of the licence value) and it will remain in force till the ** day (Month) 19..... Unless claims under the bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit of action to enforce whose claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto all Government's rights under this bond/guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Yours faithfully,

Signature of the Authorised Officer
of the Bank and Bank's full address

Place:
Date:

(The Bank guarantee is to be executed on a non-judicial stamp paper the value of the stamp being adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of Section 31 of the Indian Stamp Act. 1899).

*Strike out which is not applicable.

**This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments are expected to be finalised for shipments, as per delivery schedule of the relative contracts.

APPENDIX 'B'

Canadian International
Development Agency
Ottawa, Canada
KIA OG 4

CONFIDENTIAL
(When completed)

CANADIAN CONTENT

(Explanatory notes for filling this form are on the reverse side)

(The information in this form is for the CONFIDENTIAL use of the Canadian International Development Agency; however, only the information provided in Line 7 should accompany the tender submitted to the Buyer).

Buyer:	Supplier			
Country:	Tender No.			
Project No.:	Project Name:			
Head Office:	Plant Address:			
		Canadian	Non-Canadian	Total
1. Material and labour				
2. Engineering and Development				
3. Royalties				
4. Duties (if applicable)				
5. Overhead, profit, administrative expenses, etc.				
6. Total				
7. Percentage of Content		%	%	100%
8. Total costs of Materials purchased from Canadian Firms.	\$			

CERTIFICATION

I, ... of an authorized
(Name in Block Letters) (Address)
signing officer of certify that the above information
(Name of Company)
has been examined by me and is accurate, true and complete.
Signature of Company's Comptroller or Treasurer
Date

EXPLANATORY NOTES FOR CANADIAN CONTENT FORM

General Comments

This form is designed to provide data for evaluating the Canadian Content of Services, equipment and materials to be financed with Canadian funds. The Canadian international Development Agency reserves the right to verify that the Canadian content requirement is being met as specified, herein.

In preparing the Canadian Content Form the supplier should round out the costs in Canadian funds to the nearest dollar and ensure that the total Canadian and non-Canadian content in the last column on Line 6 equals the total selling price. All costs, direct and indirect are to be established in accordance with normal accounting practice in the firm. Supporting documents including invoices, illustrating how these costs have been established are to be held for examination by the Canadian International Development Agency.

In designing the Canadian Content Form consideration has been given to the complexities and differences of accounting practices in industry. Experience indicates that the data required should be readily available from the cost records of the supplier. In specific cases where the information requested is not applicable a notation, "N/A" should be written in the appropriate space.

Line 1.—"Canadian portion of material purchased should reflect how much of the material purchased from Canadian suppliers has a non-Canadian Content, for example, purchases from Canadian suppliers may cost \$10,000 but in this \$10,000 there may be \$2,000 of non-Canadian content. In such circumstances, only \$8,000 should be entered in the "Canadian" Column and \$2,000 should be entered in the "Non-Canadian" column. The total invoice value paid to Canadian suppliers \$10,000 in the above example, should appear on line 8.

Line 2.—"Engineering and Development" if not entirely related to this sale, indicate the applicable percentage.

Line 4.—"Duties" should include only duty paid to the Canadian Government.

Line 5.—"Miscellaneous" should include overhead, profit, advertising sales and administrative expenses and corporation income taxes on a prorated basis, and incoming and outgoing inland freight and sales taxes when applicable. Ocean freight if applicable should be shown as a separate item.

Line 6.—The total in column three should be the same as the tendered price.

Line 7.—The information in this line should be included in the tender sent to the prospective buyer.

Line 8.—See note for Line 1.

NOTE.—This form, together with one completed copy of the tender, should be placed in a sealed envelope with related tender information appearing on the front of the envelope. Mail Direct to:—

Canadian International Development Agency, Ottawa, Ontario K1A 0G 4.

APPENDIX 'C'

Date

FAIR PRICE DECLARATION

(To be completed by a responsible signing officer of the Company)

Re:
(Insert Applicable Purchase Order Number/Letter of Credit Number)

We hereby certify that—

(A) The prices quoted are not in excess of the prices currently charged by ourselves to our most favoured customers for similar goods in like quantities under comparable conditions and are considered fair and reasonable.

(B) No portion of Federal, Provincial or other taxes nor any duties have been included in our prices.

(Signature of Officer)

(Title)

(Company Name and Address)

APPENDIX 'D'

Proforma Report—One for each Import Licence under Canadian.....
Loan, dated Report for the quarter ending.....
(All figures FAS and in Canadian dollars)

1. Name of Credit and date of Agreement.
2. Amount allocated.
3. No., date and value of import licence obtained.
4. Total value of orders placed upto end of the quarter under report.
5. Total value of orders likely to be placed for the balance amount in each succeeding quarter.

6. Amount drawn out of the loan upto end of the quarter under report.
7. Amount estimated to be drawn in each succeeding quarter.

Signature

Name & Address of Importer

.....

APPENDIX 'E'

Form of Application for Release of Bank Guarantee.
(Application to be submitted by Importer's Bank, not by the Importer)

To

The Senior Accounts Officer,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
New Delhi.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposits made by us in discharge of our obligations under our Bank Guarantee No. dated for an amount of Rs. with request that the same may be released and returned to us.

1. The name and full address of the importer/licensee on which behalf the bank guarantee was furnished.
2. The import licence number, date, value and brief description of the commodities allowed for import thereunder.
3. Particulars of the Authorisation(s) obtained from the Ministry of Finance, while forwarding orders to CIDA for confirmation:
 - (a) Letter Number and date.
 - (b) Amount of authorisation.
 - (c) The particulars of the Loan No.
4. Particulars of imports and rupee deposits made (to be given separately for each Authorisation):
 - (a) Invoice Number and date relative to each payment.
 - (b) Amount of Invoice (not) in dollars.
 - (c) Amount of rupee deposit.
 - (d) Relative Challan No. and date and the name of treasury/bank.
 - (e) If by demand draft, Number and date of the demand draft and the date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi.

5. Amount utilised and balance unutilised (in dollars) in each Authorisation.

II. We certify that—

- (i)* the balance amount of \$ available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.
- (ii) the commission(s) to the agent in India, where payable has/have been paid in accordance with the terms and conditions governing the licence and the authorisation letter(s); and
- (iii) our obligations under the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,

Authorisation Agent for and on behalf of the bank.

*whichever is applicable.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1973

विषय :—कनाडा डालर 2 करोड़ के लिए 31 मार्च, 1973 को यथा संशोधित कनाडा विकास ऋण दिनांक 16-7-1971 के अन्तर्गत कनाडा से उपस्कर और/या मशीनरी और/या सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लाइसेंस-पत्रों।

सं० 139-आई० टी० सी० (पी एन)/73:—2 करोड़ कनाडा डालर के लिए 31 मार्च, 1973 को यथा संशोधित कनाडा विकास ऋण दिनांक 16-7-1971 के अन्तर्गत कनाडा से उपस्कर और/या मशीनरी और/या सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में नैसी पत्रों इस सार्वजनिक सूचना के अन्वय में दी गई हैं, वे जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

परिशिष्ट

2 करोड़ कनाडा डालर के लिए 31 मार्च, 1973 को यथा संशोधित कनाडा विकास ऋण दिनांक 16-7-1971 के अन्तर्गत कनाडा से उपस्कर और/या मशीनरी और/या सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लाइसेंस पत्रों।

1.1. लाइसेंस चार मास या 31 मई, 1974, तक में जारी पहले हों। उस अवधि तक की प्रारम्भिक वैधता के साथ जारी किए जाएंगे। प्रारम्भिक वैधता अवधि के भीतर संभारकों को निश्चित आदेश अवश्य दे दिए जाने चाहिए। इस अवधि के भीतर आदेश नहीं दिए जा सकते हैं तो आदेश देने में देरी होने के कारण देते हुए और जिस तिथि तक आदेश दिए जाएंगे वह तिथि निर्दिष्ट करते हुए लाइसेंस को पुनर्विधायक के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे आवेदनों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जहाँ आवश्यक हो, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के परामर्श से पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा।

1.2. यदि ऋण आदेश/सविदा, जहाँ तक निःशुल्क, जहाँ पर निःशुल्क/लागत-बीमा-भाड़ा या लागत और भाड़ा के आधार पर निश्चित की जाए तो कनाडा का अन्तर्गत विकास अभिकरण (सीआईडीए) जहाँ तक निःशुल्क लागत का वित्तदान करेगा या अधिक परिमाण में पोतलदानों के मामले में कनाडा पक्ष पर जहाँ पर निःशुल्क लागत या उसके एक भाग का वित्तदान करेगा।

1.3. आदेश दिए जाने के बाद, लाइसेंसधारियों को पोतलदानों और भुगतानों को समाविष्ट करने के लिए पुनर्विधायक के लिए इस दस्तावेजी माध्य के साथ कि आदेश दे दिए गए हैं और पोतलदान(तों) की सविदा-सम्बन्धी तिथि (यों) को निर्दिष्ट करते हुए, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

2. लाइसेंस की समाप्ति के एक महीने के भीतर सभी पोतलदान और भुगतान अवश्य पूर्ण हो जाने चाहिए। माल के प्रत्येक पोतलदान के लिए अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी प्रकार के उधार की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

खरीददारी के लिए आवश्यक बातें

3.1. माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति व्यापार की सुस्थित पद्धतियों के अनुसार होनी चाहिए। आयातक निविदाएं आमंत्रित कर सकते हैं, संविदा कर सकते हैं या जैसा कि वे उचित समझें अपने मूल कनाडा-संभरक से व्यापार जारी रख सकते हैं। कनाडा-संभरकों की सूचना कनाडा का उच्चायोग, नई दिल्ली से प्राप्त की जा सकती है।

3.2 निविदाएं आमंत्रित करते समय या उचित विज्ञापन देते समय या संविदा करते समय आयातक निम्न बातों पर ध्यान देगा :—

- (1) जहां तक सम्भव हो अधिप्राप्त की जाने वाली मदों के तकनीकी विशिष्टीकरणों को कनाडा मानकों के अनुसार निर्दिष्ट करेगा और यदि उसे कनाडा-मानकों से अन्य मानक प्राप्त करने हैं तो उसका कनाडा-मानक में तुल्य निर्दिष्ट करेगा।
- (2) संभरक को यह स्पष्ट रूप से बताया कि प्रत्येक प्रस्तावित या आदेशित मद में कम से कम 40 प्रतिशत अंश कनाडा का होना चाहिए। संभरक सब मामलों में विषयाधीन मद में प्रतिशतता और मूल्य (कनाडा डालर में) दोनों में कनाडा-अंश की प्रतिशतता निर्दिष्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए।
- (3) संभरकों से विशेषतया जहाज तक निशुल्क (और, जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के आधार पर दिए गए डेर सारे पोतलदान आदेशों के मामले में जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य) लागत निर्दिष्ट कराएगा और महासागर भाड़े और बीमे की लागतों को अलग-अलग निर्दिष्ट कराएगा।
- (4) भारतीय अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो, तो उसे अलग से निर्दिष्ट करने के लिए संभरक से कहेगा और उसे यह परामर्श देगा कि यह कमीशन भारत में भारतीय रुपये में चुकाया जाएगा।

4.1. कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण 66.2/3 प्रतिशत या इससे अधिक कनाडा-अंश वाले उपस्कर और मशीनरी के पूर्ण जहाज तक निःशुल्क मूल्य/जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का वित्तदान करेगा। उपस्कर और मशीनरी जिन में कनाडा अंश 66/2/3 प्रतिशत से कम है परन्तु 40 प्रतिशत से कम नहीं है, तो निम्न लिखित सूत्र के अनुसार लागत भाग के आधार पर इस ऋण के अन्तर्गत आंशिक वित्तदान के लिए पात्र हैं :—

- | | |
|---|--|
| 1. कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण का भाग अर्थात् कनाडा ऋण से अलग। | वास्तविक कनाडा जहाज तक निःशुल्क/जहाज पर्यन्त-निशुल्क अंश |
|---|--|

× उपस्कर का
66.2/3 प्रतिशत। मूल्य

- | | |
|---|--|
| 2. भारत सरकार का भाग स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा से वित्तयुक्त किया जाना है | उपस्कर का मूल्य कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण का भाग घटाकर। |
|---|--|

नदनुसार, जिन मामलों में कनाडा-अंश 66.2/3 प्रतिशत से कम पड़ता है और जिन के परिणाम स्वरूप कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण पूर्ण जहाज तक निःशुल्क लागत/जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत वित्तदान नहीं करेगा, ऐसे मामलों में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग आयातक द्वारा नीचे पैरा 6 में यथा उल्लिखित एक आवेदन-पत्र दिए जाने पर भाड़े और बीमे के बराबर धनराशि को रिहा करने के अतिरिक्त उपस्कर के जहाज तक निःशुल्क मूल्य / जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बराबर स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा प्रारम्भ में रिहा करेगा। उपस्कर के जहाज तक निःशुल्क मूल्य/जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए रिहा की गई स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा की आंशिक प्रतिपूर्ति आयातक द्वारा पोत परिवहन और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से पिछली कंडिकाओं में वर्णित लागत-भाग के सूत्र के आधार पर की जाएगी।

4.2 कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की निधियों में से पहले वित्तदान किए गए उपस्कर के फालतू पुर्जों और/या मशीनरी के आयात के लिए कनाडा अंश की रिहाई के लिए आवेदन करते समय आयातक मूल वित्तदान के स्रोत और ऐसे उपस्कर/मशीनरी के मूल संभरकों के नाम (मों) की पहचान करेगा।

5. निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियों में निविदा आमंत्रित करना या उचित विज्ञापन देना आवश्यक नहीं होगा :—

- (1) जब माल की अधिप्राप्ति किसी संभरक / आयातक की रिश्तेदारी के अन्तर्गत प्रस्तावित हो और आयातक संभरक का अभिज्ञात परम्परागत ग्राहक हो।
- (2) जब अधिप्राप्ति उस मद (मदों) से सम्बद्ध हो जो केवल एक विशिष्ट संभरक से उपलब्ध हो।
- (3) जब मद (मदें) प्रकृति द्वारा प्राप्त की जाती हो (हों) और विशिष्ट विनिर्माण करने की प्रक्रिया या अन्तिम उत्पादों के लिए विशेषरूप से अनोखी हो।

6. ऋय-संविदाएं

6.1 संविदाओं का मूल्य कनाडा-डालर में अभिव्यक्त होता चाहिए। भारतीय रुपये में देय भारतीय अभिकर्ता का कमीशन आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के प्रति डेबिट किया जाएगा।

6.2 प्रत्येक ऋय आदेश की प्रति या सभी संशोधनों सहित संविदा कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को अग्रेषित की जानी चाहिए। ऐसी दो प्रतियां (जहां लागू हो कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के अनुमोदन के पत्र के प्रति के साथ) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्सियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को अग्रेषित की जानी है।

7. बैंक गारंटी

जिन मामलों में किसी उपस्कर में कनाडा-अंश 66.2/3 प्रतिशत या इससे अधिक है और इसी कारण संभरकों को कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान क्रियाविधि अन्तर्गस्त है, ऐसे मामलों में आयातक को आयात लाइसेंसों के आधार पर दिए गए आदेशों के पूर्ण जहाज तक निःशुल्क / जहाज पर्यन्त निःशुल्क (द्वे सारे पोतवदानों के मामलों

में) लागत के लिए और इस लागत का एक प्रतिशत पुरानी मिश्रित दर 701 रुपये-100 कनाडा डालर पर परिवर्तित धनराशि के लिए संलग्न प्रपत्र (परिशिष्ट 'ए') में एक बैंक गारंटी भारत में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी से प्रस्तुत करनी होगी [इस शर्त के साथ कि बैंक ऐसे अतिरिक्त निक्षेप करने का वचन लेता है जो मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की माव-जनिक सूचना संख्या 133-आईटीसी (पीएन)/70, दिनांक 4-9-1970 और संख्या : 108-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 21-7-72 के अनुसार आवश्यक समझे जाएं और मुद्रा विनियम की मिश्रित दर में आगे कोई परिवर्तन होने के कारण बैंक गारंटी का मूल्य स्वतः समंजित करने के लिए कायम है] । बैंक गारंटी गैर-न्यायिक स्टाम्प कागज पर निष्पादित होनी चाहिए, स्टाम्प के मूल्य का निर्णय स्टाम्प समाहर्ता द्वारा स्टाम्प अधिनियम, 1899 के खंड 31 की शर्तों के अनुसार किया जाएगा (सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं से बैंक गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है) । यदि आयात की व्यवस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से की जाती है तो बैंक गारंटी प्राप्त होने पर आर्थिक कार्य विभाग कनाडा उच्चायोग के माध्यम से क्रय आदेश की एक प्रति कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को यह प्राधिकृत करते हुए भेजेगा कि कनाडा-संभरक को एक पुष्टिकारक क्रय आदेश जारी करे ।

7.2 जिन मामलों में उपस्कर का कनाडा-अंश 66.2/3 प्रतिशत से कम है परन्तु 40 प्रतिशत से कम नहीं है, तो उन में आयातक स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा की रिहाई के लिए अपना आवेदनपत्र सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, 10 पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 को प्रस्तुत करेगा । आवेदन पत्र क्रय-आदेश या संविदा की दो प्रतियों द्वारा समर्थित होगा (वेबिंग नीचे पैरा 8.2) (जहां लागू हो कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण में अनुमोदन की एक प्रति के साथ), आवेदक मद (मदों) की कनाडा-अंश की प्रतिशतता से सम्बन्धित सूचना की प्रतिशतता और कनाडा डालरों में मूल्य दोनों में प्रस्तुत करेगा । ऐसे मामलों में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में सहायता लेखा नियंत्रक के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना न कोई पाख-पत्र खोला जा सकता है न धन प्रेरण किया जा सकता है ।

आयातक की ओर से संभरक को अनुवेश

8.1 क्रेता निम्नलिखित दस्तावेज कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए संभरक को अनुदेश देगा :—

- (क) कनाडा-अंश घोषणा प्रपत्र (परिशिष्ट बी) की एक प्रति, मेवाओं के मामले के अतिरिक्त ;
- (ख) एक यह घोषणा कि उद्धृत या वसूल की गई कीमत उचित और न्याय संगत है (परिशिष्ट 'सी') ; और
- (ग) कनाडा संभरक तथा क्रेता के बीच हुई विक्रय या क्रय संविदा (सभी संशोधनों सहित) के प्रस्ताव की प्रति ।

8.2 क्रय आदेश में निम्नलिखित अनुसार यथार्थ व्योरे होने चाहिए :—

- (क) संभरक को वस्तुओं या उपस्करों के विस्तृत विशिष्टिकरण, मात्रा, माप की इकाई और कीमत ।

- (ख) विस्तृत वितरण अनुदेश ।
- (ग) उपस्कर में कनाडा-अंश की प्रतिशतता ।
- (घ) यह सूचना कि यदि किसी मामले में कनाडा अंश के अधीन आयात किए गए उपस्कर आदि का कनाडा-अंश 66. 2/3 प्रतिशत और इसमें अधिक है तो सभी सीमाकर खर्ची महिज कनाडा समुद्रीपत्तन को जहाज तक निःशुल्क लागत, या डेर मारे पोतलदानों के मामले में जहाज पर्यन्त निःशुल्क जलयान लागत कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा चुकाई जाएगी, और जिस मामले में कनाडा-अंश 66. 2/3 प्रतिशत से कम है परन्तु 40 प्रतिशत से कम नहीं है, उस में समस्त जहाज तक निःशुल्क जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत आयातक द्वारा बैंक के सामान्य सूत्रों के माध्यम से चुकाई जाएगी ; भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई होगा तो वह सभी मामलों में भारतीय रुपये में चुकाया जाएगा ।
- (ङ) बीमा तथा बुकिंग करने और महासागर भाड़े का भुगतान तथा यातायात के साधनों के लिए जो व्यवस्थाएं की जाएंगी उनमें सम्बन्धित सूचना ।
- (च) अन्तिम परेषितो का नाम और पता, अधिसूचित करने वाली पार्टी (यदि लागू हो) और माल रिहाई का पत्तन ।
- (छ) जिन मामलों में कनाडा-अंश 66. 2/3 प्रतिशत या अधिक है उन में क्रेता संभरकों को अनुदेश देगा कि उन्हें परक्राम्य पोतपरिवहन दस्तावेजों को नामित भारतीय बैंक (स्टेट बैंक आफ इण्डिया की एक शाखा या सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के मामले में राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी एक) को **वृत्तगामी हवाई डाक** द्वारा भेजना चाहिए इसके साथ ही साथ उन्हें (संभरकों को) निरीक्षण, भार और विश्लेषण प्रमाणपत्रों के साथ अपने बीजकों (मूल और तीन प्रतियों), अपरक्राम्य लक्षण द्विजों की तीन प्रतियों या स्वीकार्य डाक रसीदों को कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, ओटावा को भुगतान के लिए प्रस्तुत करना चाहिए । तदन्तर, कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से भुगतान प्राप्त करने के बाद संभरकों को आयातकों को उनके बैंकों को और आर्थिक कार्य विभाग की आर्थिक लेखा शाखा को भी भुगतान की तिथि और धनराशि हवाई डाक द्वारा निदिष्ट करनी चाहिए । भुगतान के लिए कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को दस्तावेज प्रस्तुत करने समय संभरकों को कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को यह प्रमाणित करना चाहिए कि (क) उन्होंने मूल पोतपरिवहन दस्तावेज हवाई डाक द्वारा भारत में बैंक को भेज दिए हैं, और (ख) भुगतान प्राप्त करने के तुरन्त बाद वे कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा भुगतान की धनराशि और तिथि की सूचना आयातकों, उनके बैंकों और आर्थिक कार्य विभाग को हवाई डाक द्वारा देंगे ।

जिन मामलों में कनाडा-अंश 66. 2/3 प्रतिशत से कम है : जिन मामलों में उपस्कर और/या मशीनरी में कनाडा-अंश 66. 2/3 प्रतिशत से कम है परन्तु 40 प्रतिशत से कम नहीं है, उनमें निरीक्षण, भार और विश्लेषण

प्रमाण-पत्रों (दो प्रतियों सहित) के साथ परक्राम्य पोतपरिवहन दस्तावेज (उनकी दो प्रतियों सहित) तथा बीजक (उनकी पांच प्रतियों सहित एक मूल प्रति), अपरक्राम्य लदान बिल की 5 प्रतियां या स्वीकार्य डोक रसीद, जहाज तक निशुल्क/जहाज पर्यन्त निशुल्क लागत जिमका कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा लागत-भाग मूल के आधार पर वित्त दान नहीं किया जाएगा, का निर्देशन करते हुए नामित भारतीय बैंक को हुनगामी हवाई डाक द्वारा अप्रेमित करेगा। नामित भारतीय बैंक भुगतानों को बैंक के सामान्य तरीकों के माध्यम से संभरक को परेषित करेगा और दस्तावेजों को आयातक को रिहा करेगा। संभरक को भुगतान होने के तुरन्त बाद भारतीय बैंक को निरीक्षण, भार और विश्लेषण प्रमाणपत्रों की दो प्रतियां के साथ पोतपरिवहन दस्तावेजों की दो प्रतियों, बीजकों की चार प्रतियां, अपरक्राम्य लदान बिल या स्वीकार्य डाक रसीदों की चार प्रतियां आर्थिक सहायता लेखा, शाखा, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि बाद वाला (आर्थिक सहायता लेखा शाखा) आयातित मर्दों के जहाज तक निशुल्क मूल्य के भाग की वापसी पैरा 4.1 में उल्लिखित लागत-भाग के आधार पर प्राप्त कर सके।

- (ज) सेवाओं के मामले में, संभरकों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक लेखा शाखा, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को दो प्रतियों में दावे भेजने के लिए अनुदेश उनकी सत्यता के प्रमाणीकरण के लिए और बाद में उनको भुगतान के लिए कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को अप्रेमित करने के लिए।

टिप्पणी.—कनाडा-संभरक से एक बार की गई संविदा अनिवार्य समझी जाती है।

9. आदेश देने से सम्बन्धित रिपोर्ट

प्रत्येक त्रैमासिक के अन्त में 15 दिनों के भीतर ही दिए गए आदेशों की एक त्रैमासिक रिपोर्ट इसमें संलग्न परिशिष्ट 'डी' के अनुसार आयातक द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग सहायता लेखा शाखा तथा सी० ई० शाखा (फालतू प्रतियों के साथ) तथा विदेशी मुद्रा विनिमय अनुभाग, औद्योगिक विकास मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजा जाना चाहिए। रिपोर्ट को तब तक भेजते रहना चाहिए जब तक आयात लाइसेंस का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर लिया जाता है।

10. आयात लाइसेंस क मद्दे भुगतान.—

- (क) जहां आयात की जाने वाली मर्दों में कनाडा निर्मित साल 66.2/3 प्रतिशत या इससे अधिक की मात्रा में है :

- (1) आयात लाइसेंस भारत से जहाज तक निशुल्क या जहाज पर निशुल्क लागत (कनाडा पत्तन) के लिए वैध नहीं होगा, क्योंकि इसका भुगतान कनाडा में सम्बन्धित कनाडा ऋण से किया जाएगा। अन्य मर्दों के लिए आवश्यक

विदेशी मुद्रा की व्यवस्था आयात खाइसेंस में ही कर दी जाएगी और यह लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के आधार पर प्रेषणीय होगी जो इस प्रकार के भुगतान के लिए वैध होगी। निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर, कनाडा संभरकों को सी आई डी ए द्वारा सीधे ही जहाज तक निशुल्क अथवा जहाज पर निशुल्क कीमत अदा कर दी जाएगी।

- (2) निजी आयातकों के मामले में जिस भारतीय बैंक ने गारंटी दी है वही कनाडा संभरकों से मूल पीत लदान दस्तावेजों को प्राप्त करेगा किन्तु उसे तभी दस्तावेज सुपुर्द करने चाहिए जब इसका सुनिश्चय हो जाए कि आयातक ने आयात के जहाज पर निःशुल्क/जहाज तक निःशुल्क लागत के उस समतुल्य रुपये को जो सी आई डी ए द्वारा संभरक को दिया जाता है, भारत सरकार के खाते में जमा कर दिया है, इस समतुल्य रुपये का परिकलन विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा जारी की गई मासिक सूचना संख्या : 133—आईटीसी (पीएन)/70, दिनांक 4-9-1970 तथा 108—आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 21-7-72 (नीचे का नोट देखें) में अधिसूचित विनिमय दर पर किया जाएगा तथा जमा की गई इस धनराशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी परिकलित किया जाएगा जो सी आई डी ए द्वारा कनाडा संभरकों को की जाने वाली लागू अवधि की तारीख से उक्त समतुल्य रुपए जमा करने की तारीख तक की अवधि के लिए होगा। जहाज पर निशुल्क/जहाज तक निशुल्क लागत से सम्बन्धित आवश्यक रुपये तथा ब्याज जमा करने की व्यवस्था प्रलेख प्राप्ति और भारतीय बैंक द्वारा जमा करने का परामर्श प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अवश्य हो जानी चाहिए। जिस लेखा शीर्ष में यह धन राशि जमा की जानी चाहिए, उसे नीचे दिया गया है :—

“डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सेज—पार्ट-2 डिपोजिट्स नाट बियरिंग इन्टररेस्ट—
अंदर डिपोजिट्स अकाउन्ट सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स आफ
कास्ट आफ मैटिरियल एंड इक्विपमेंट प्रोक्यूर्ड अण्डर क्रेडिटियन
डिवेलपमेंट लाइन आफ क्रेडिट डेटेड 16-7-1971 एज अमेंडेड ग्रान
मार्च 31, 1973 फार कनाडा डालर 20 मिलियन।”

महत्वपूर्ण टिप्पणी.—इसे अच्छी तरह नोट कर लेना चाहिए कि उक्त विनिमय दर विनिमय की प्रचलित मिली जुली दर है और वह परिवर्तनाधीन है और जब और जैसे ही इसका निश्चय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, इसकी सूचना आयातकों/बैंकों को दे दी जाएगी।

- (ख) जहा आयात की जाने वाली मर्चों में कनाडा निर्मित माल 66. 2/3 प्रतिशत से कम मात्रा में है किन्तु 40 प्रतिशत से कम की मात्रा में नहीं है।

- (1) कनाडा संभरकों को जहाज तक निशुल्क अथवा जहाज पर निशुल्क लागत का भुगतान आयातकों द्वारा संभरक से निर्धारित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर भारत सरकार द्वारा रिया की गई स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा में से सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से किया जाएगा। देखिए उपर्युक्त कंडिका 4.1।

- (2) वह भारतीय बैंक ग्रथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया जैसा भी मामला हो जिसके माध्यम से कनाडा सभरको के लिए प्रेषण की व्यवस्था की जाती है, कनाडा सभरको से मूल पोतलदान दस्तावेजों को प्राप्त करेगा। किन्तु उसे आयातकों को दस्तावेज तभी सुपुर्द करने चाहिए जब कि इसका सुनिश्चित हो जाए कि पूर्व की कड़िका में यथा उल्लिखित बैंक द्वारा सभरकों को प्रेषण कर दिया गया है।

(ग) (1) उपर्युक्त कड़िका 10 (क) (2) में उल्लिखित जमा सामान्य रूप में रिजर्व बैंक आफ इंडिया नहीं दिल्ली में ग्रथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया दिल्ली में और जहां कहीं यह सम्भव नहीं हो, तो स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली को इसके नाम में हिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषण करना अनुमेय है, इस सम्बन्ध में देखिए, सार्वजनिक सूचना सख्या 233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68 तथा 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71 में निहित अनुदेश। आयातकों को यह भी चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सख्या 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-1968 के तहत अनुसूच-2 में निहित "एस" प्रपत्र को दो प्रतियों में भरे और उसे सार्वजनिक सूचना में निर्धारित प्राक्कषा के अनुसार जमा कर रहे हों, तो अपने बैंक को प्रस्तुत करें।

(2) सम्बद्ध भारतीय बैंक रिजर्व बैंक आफ इंडिया या स्टेट बैंक आफ इंडिया में प्राप्त राजकोष चालान की एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट नहीं दिल्ली को आयात का पूरा विवरण देते हुए और निर्धारित दस्तावेजों के पूरे सेट एक अप्रेषण पत्र के साथ भेजेगा। पारा धारा 10 (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, राजकोष चालान के बिना सभी दस्तावेज वित्त मंत्रालय को भेजे जाणगे। जब आयात साइसेम के मद्दे आयात पूरे कर लिए जाते हैं और आयातकों का बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए आवेदन करना है तो इस प्रकार का निवेदन परिशिष्ट 'ई' में दिए गए प्रपत्र में बिना किसी परिवर्तन के किया जाना चाहिए और इसके साथ आयातक से प्राप्त एक प्रमाण-पत्र इस बात की पुष्टि करते हुए, मागना चाहिए कि माल के संक्रमण करने में या माल का थोड़ा अवतरण करने में जहां कहीं भी जो क्षति या टूट-फूट हुई है, उसके विस्तृत विवरण के साथ इस सम्बन्ध में उपयुक्त दावा करने के लिए अधिमाम्यता दे दी गई है। इसे नोट कर लेना चाहिए कि जब तक इनका अनुपालन नहीं कर लिया जाता है तब तक बैंक गारन्टी को रिहा करने के मामले पर विचार नहीं किया जाए।

(घ) ऐसे माल के आयात के मामले में जिसमें कनाडा निर्मित माल की मात्रा 66 2/3 प्रतिशत या इससे अधिक की है तो सम्बद्ध भारतीय बैंक, समुद्री भाड़ा धन-राशि का प्रेषण करने से पहले यह सत्यापित करेगा कि माल के जहाज पर निशुल्क/जहाज तक निशुल्क लागत के सम्बन्ध में आवश्यक प्रतिपूर्ति जिसे सी आई डी ओ द्वारा चुकाया जाना है और 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रभार को जो भुगतान की तारीख से जमा करने की तारीख तक के लिए है, चुका दिया गया है और उस धनराशि को सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है।

11 समुद्री भाड़ा और निरीक्षण

आयातक निम्नलिखित की व्यवस्था करने तथा भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा :—

- (क) समुद्री भाड़ा और बीमा की लागत जो कनाडा बैंक में अधिमाम्यतः अपरिवर्तनीय साख्यपत्र द्वारा जमा किया गया है और वह समुद्री पोत लदान और बीमा की व्यवस्था करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त अधिकरण द्वारा पर्याप्त है।
- (ख) पैकिंग और पोत लदान से पूर्व, जहाँ कहीं आवश्यक हो (उस माल को छोड़ कर जिनकी व्यवस्था सामान्यतया निर्माणकर्ता के प्राधिकरण के प्रपत्र में संभरक द्वारा की जाती है), माल का निरीक्षण।
- (ग) भारत के पत्तन पर माल के पहुँचने के बाद उसको उतारना तथा उसका आंतरिक विमर्श करना।

12. बीमा

किसी भी कमी, टूट फूट अथवा क्षति के सम्बन्ध में जो सीधे ही इस समुद्री परिवहन की वजह से हुई है, और जिन के लिए बीमा कम्पनी में दावा करने का विचार किया जाता है, आयातक द्वारा उठाए गए ऐसे दावों का अधिमाम्य कीमत के बारे में सी आई डी ए को शीघ्रानिशीघ्र परामर्श भेजा जाना चाहिए।

आयातक को जहाजी बीमा नीति के अन्तर्गत क्षति या टूट-फूट के परिणाम स्वरूप जहाजी बीमा का किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भुगतान प्राप्त करना है, तो वह इस प्रकार के भुगतान के बारे में शीघ्रानिशीघ्र सी आई डी ए को सूचित करेगा और ऐसे दावों का प्रयोग कनाडा उद्गम माल की तरह माल के साथ उपकरण अथवा माल अथवा इसके किसी भाग को बदलने के लिए करेगा।

13. झगड़े

आयातक इस बात का ध्यान रखेगा कि यदि कोई झगड़ा उत्पन्न होगा तो सरकार इसके लिए किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेगी।

14. भविष्य के लिये अनुदेश

आयातक किसी मामले या सभ्यो मामलों में उत्पन्न या आयात लाइसेंस के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशों, या आदेशों का अनुपालन तुरन्त करेगा।

15. भंग या उल्लंघन

आय उत्पन्न करने वाले अनुच्छेदों में निर्धारित शर्तों का भंग करने या उल्लंघन करने पर आयातक न्यायनिर्णय (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत उचित सजावाई की जायेगी।

परिशिष्ट 'ग'

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

द्वारा, सचिव, भारत सरकार,

वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, नई दिल्ली।

महोदय,

भारत के राष्ट्रपति के बदले में जिमे बाद में सरकार के रूप में उल्लिखित किया गया, निम्नलिखित द्वारा आयात किए जाने वाले माल की कीमत का विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की व्यवस्था करने को सहमत है।

- * (1) _____ फर्म का नाम तथा किस्म जिसके अधीन
 (2) _____ व्यक्ति/भागीदार काम कर रहा है _____
 (3) _____
 (4) _____
 (नाम और पते)

सर्वश्री _____ कं० जिसका पंजीकृत कार्यालय _____
 _____ राज्य _____ में है, जिन्हें बाद में आयात लाइसेंस संख्या : _____ दिनांक _____ के अन्तर्गत आयातकों के रूप में उल्लिखित किया गया और _____ रुपये _____ स्वीकृत किए गए, हम _____

इसके द्वारा गारंटी देते हैं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली / स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली में भारत सरकार के खाते में जमा करने की व्यवस्था करेंगे या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उनके नाम में निकालने के लिये विधिवत रूप से और लाइसेंस शर्तों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार उपयुक्त लेखा शीर्ष में जमा करेंगे।

(1) कनाडा सरकार (सी० आई० डी० ए०) द्वारा कनाडा डालर में सभरकों को जहाज तक निःशुल्क कीमत का रुपये में जो भुगतान किया गया है, उसके सम्बन्ध में, कनाडा सभरकों से पोत परिवहन दस्तावेजों के साथ भुगतान के परामर्श की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर, 701 रुपया-कनाडा डालर 100 की दर से तथा जिस दिन से।

(2) सेवा प्रभार के लिए बाकी रहने वाली धन-राशि जैसा कि सरकार द्वारा मांग की जा सकती है, सरकार द्वारा मांग किए जाने के 7 दिनों के भीतर इस प्रकार की अतिरिक्त धन-राशि को जमा करेंगे।

2. हम _____ मांग करने पर तथा बिना मांग के सरकार को ऐसी धन-राशि को चुकाने का वचन देने हैं जो _____ रुपये (ब्याज तथा सेवा प्रभार के साथ जैसा पहले कहा गया है) से अधिक न हो तथा जो धन-राशि आयातकों द्वारा उपर्युक्त किसी प्रकार के भुगतान करने में असफल होने पर अथवा उनके द्वारा अपेक्षा करने पर सरकार द्वारा मांग की जा सकती है और आयातकों की ऐसी असफलता या अपेक्षा

पर सरकार जो भी धन-राशि हम से वसूल करने का निर्णय करेगी वह हमारे लिए अन्तिम और अनिवार्य होगा ।

3. हम ————— सहमत और वचन हैं देते हैं कि आयातको को तब तक पोतलदान दम्नावेज मुक्त नहीं करेंगे जब तक कि सरकार द्वारा मांगा गया यथापूर्वोक्त अन्य बकाया यदि कोई हो, सरकार के खाने में जमा नहीं कर दिया जाता है ।

4. हम ————— सहमत है और वचन देते हैं कि इसकी मुद्रा काल में हम गारंटी को भारत सरकार की पूर्व सम्मति के सिवा और किसी स्थिति में रद्द नहीं करेंगे ।

5. हमसे निहित गारंटी आयातको अथवा हमारे बैंक के सन्धान में होने वाले किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी ।

6. इस गारंटी को प्रभावित किए बिना उपर्युक्त निर्दिष्ट आयात लाइसेंस की शर्तों में कोई परिवर्तन करने या समय समय पर आयातको द्वारा भुगतान करने की अवधि में वृद्धि करने या इसके द्वारा किसी समय तथा समय समय पर आयातको के प्रति प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को स्थगित करने की सरकार को पूर्ण स्वतंत्रता होगी और इस गारंटी में पूर्वोक्त धन-राशि के संदर्भ में सरकार द्वारा कोई भी अधिकार प्रयोग करने की स्वतंत्रता के कारण या आयातको को दिए जाने वाले समय में परिवर्तन या वृद्धि के कारण अथवा सरकार की आर में किसी परिहार या छूट या सरकार द्वारा आयातकों पर किसी प्रकार की श्रमा अथवा कोई भी मामला या बात हा जो कि कानून के अनुसार प्रतिभूतियों से सर्वाधत हो इस परन्तु के लिए, ————— बैंक हमारे दायित्वों पर कोई प्रभाव डाले बिना हम ————— हमारे दायित्वों में मुक्त नहीं करेगा ।

इस बांड/गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व ————— रुपये (ऊपर बताए गए के अनुसार हम में व्याज और सेवा-प्रभार भी है जिसकी लाइसेंस मूल्य के 1 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद नहीं है) तक प्रतिबन्धित है और यह तिथि ————— माह ————— तक** क्रियान्वित रहेगा जब तक बांड/गारंटी के अन्तर्गत इस तिथि से 6 माह के भीतर लिखित रूप में दावे नहीं कर दिए जाते और इसके बाद जैसे ————— तक अगले 6 माह के भीतर जब तक इन दावों का क्रियान्वित करने के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता या कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उक्त बांड/गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और इसमें निहित सारे दायित्वों से छुटकारा पा जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे ।

भवदीय,

स्थान ————— बैंक के प्रकधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक : ————— और बैंक का पूरा पता ।

(बैंक गारंटी एक न्यायकेतर स्टाम्प पेपर पर निष्पादित की जाती है, स्टाम्प का मूल्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 31 की शर्तों के अनुसार समाहर्ता द्वारा निर्मित किया जाएगा) ।

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

** जिस तिथि तक पोत लदान के लिए सभी भुगतान पूर्ण हो जाने की आशा है, उस तिथि में एक मास जोड़कर यह तिथि गिनी जाएगी ।

परिशिष्ट 'बी'

गापनीय
(जब पूर्ण हो जाता है)

कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय
विकास अभिकरण

कनाडा वस्तु

ओटावा कनाडा

के। ए. ओ. जी. 4

इस प्रपत्र को भरने के लिए विस्तृत टिप्पणियां
प्रपत्र के पीछे दी गई हैं।

श्रेता _____

संभरक _____

देश _____

इस प्रपत्र की सूचना कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास
अभिकरण के गापनीय उपयोग के लिए है
लेकिन केवल पंक्ति 7 में दी गई जानकारी ही
श्रेता को दी गई निविदा में शामिल की जानी
चाहिए।

निविदा सं० _____

परियोजना सं० _____

परियोजना का नाम _____

प्रधान कार्यालय _____

सयत्र का पता _____

कनाडा

गैर-कनाडा

कुल योग

1 सामग्री और श्रम

2 अभियंत्रण और विकास

3 रायल्टी

4 शुल्क (यदि लागू होने योग्य
हो)

5 बंधा खर्च लाभ सामानिक
खर्च आदि

6 कुल योग

7. वस्तु की प्रतिशतता

%

%

100%

8. कनाडा की फर्म से खरीदी गई

सामग्री की कुल लागत

डालर

प्रमाणीकरण

मैं _____ का _____

(साफ अक्षरों में नाम)

(पता)

_____ का हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकृत अधिकारी यह

(कंपनी का नाम)

प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना की जाँच मेरे द्वारा कर ली गई है और यह ठीक सत्य और पूर्ण है।

दिनांक _____

कंपनी के लेखानियंत्रक अथवा कोषाध्यक्ष के
हस्ताक्षर

कनाडा वस्तु प्रपत्र के संबंध में विस्तृत टिप्पणियाँ
सामान्य टिप्पणियाँ

यह प्रपत्र कनाडा विधि से अर्थयुक्त किए जाने वाले कनाडा वस्तु की सेवाओं उपकरण तथा माल का मूल्यांकन करने के लिए आकड़ा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को यह स्थापित करने का अधिकार है कि कनाडा वस्तु की आवश्यकताओं को इसमें विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार पूर्ण किया जा रहा है।

कनाडा वस्तु के लिए प्रपत्र तैयार करते समय सभरक को जाहिर कि वह कनाडा निधि में लागत को निकटतम डालर में गरा कर और इस बात का सुनिश्चय करे कि अंतिम फाल्स में पंक्ति 6 पर कुल कनाडा तथा गैर-कनाडा वस्तु कुल क्रय कीमत के बराबर होती है। सभी किस्म की लागत चाहे वे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष हों, फर्म में सामान्य लेखा प्रक्रिया के अनुसार स्थापित की जानी है। बीजक सहित भेजे जाने वाले दस्तावेज, स्पष्ट करते हैं कि ये लागत किस प्रकार व्यवस्थित की गई हैं, उन्हें कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा जांच के लिए रखा गया है।

कनाडा वस्तु प्रपत्र का स्थापित करने समय उद्योग की लेखा पद्धति की जटिलताओं और विभिन्नताओं पर विचार किया गया है। अनुभव यह संकेतित करता है कि अपेक्षित आकड़ा सभरक के लेखा रिकार्ड से सहज उपलब्ध होना चाहिए। विशेष मामलों में जहाँ अपेक्षित सूचना लागू नहीं होती है एक संकेत चिह्न "लागू नहीं होता" उचित स्थान पर लिख दिया जाना चाहिए।

पंक्ति 1 : कनाडा अन्न की वस्तु हो खरीदी गई है उसे इस पर प्रमाण डालना चाहिए कि कनाडा सभरक से खरीदी गई वस्तु में गैर-कनाडा अन्न किता है जैसे कनाडा सभरक से खरीदी गई वस्तुओं की कीमत 10,000 डालर हो सकता है किन्तु इस 10,000 डालर में 2,000 डालर की गैर-कनाडा वस्तु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में केवल 8,000 डालर ही 'कनाडा' कालम में लिखा जाना चाहिए और 2,000 डालर "गैर-कनाडा" कालम में लिखा जाना चाहिए। उपर्युक्त उदाहरण में 10,000 डालर जो कनाडा सभरक को कुल बीजक मूल्य चुकाया गया है, उसे पंक्ति 8 में दर्शाना चाहिए।

पंक्ति 2 : अभियांत्रिक और विकास यदि पूर्णतया इस विक्रय से संबंधित नहीं है, तो लागू होने वाले अनुपात का संकेत करे।

पंक्ति 4 : 'करो' में केवल कनाडा सरकार को बुकाया गया कर ही शामिल होना चाहिए।

पंक्ति 5 : "विविध" में बंधा खर्च लाभ, विज्ञापन बिक्री तथा प्रशासनिक खर्च, तथा अनुपात के आधार पर निगम आय कर और जब लागू हो अन्तर्देशीय आने वाला और जाने वाला भाड़ा तथा बिक्री करों को शामिल किया जाना चाहिये। यदि समुद्री भाड़ा लागू होता है, तो उसे एक अलग मद के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

पंक्ति 6 : कालम 3 का कुल जोड़ निविदा कीमत के समान ही होना चाहिए।

पंक्ति 7 : इस पंक्ति में दी गई सूचना को भावी क्रेता को भेजी गई निविदा में शामिल किया जाना चाहिए।

पंक्ति 8 : पंक्ति 1 के लिए टिप्पणी देखें।

टिप्पणी:— यह प्रपत्र, निविदा की एक पूर्ण की हुई प्रति के साथ मुहरबंद लिफाफे में डाला जाना चाहिए और लिफाफे के मामले संबंधित निविदा की जानकारी दर्शाई जानी चाहिए। डाक द्वारा सीधे सेवा में :—

कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण,
ओटावा ओंटेरियो,
के 1 ए, ओ जी 4

परिशिष्ट ' सी '

दिनांक :

उचित कीमत घोषणा-पत्र

(कंपनी के जिम्मेदार हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी द्वारा पूर्ण किया जाना है)

विषय :

(लागू क्रय आदेश संख्या/साख-पत्र संख्या सम्मिलित करें)

हम एनद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि (क) उद्धृत की गई कीमतें, हमारे द्वारा हमारे बहुत ही अनुगृहीत ग्राहक से तुलनात्मक परिस्थितियों के अन्तर्गत उसी मामले और उसी मात्रा के लिए ली गई वर्तमान कीमतों से अधिक नहीं हैं और ये उचित तथा ठीक समझी जाती हैं।

(ख) हमारी कीमतों में किसी किस्म के संघोष, प्रांतीय अथवा अन्य करा और किसी भी प्रकार के शुल्क को शामिल नहीं किया गया है।

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

(पद)

(कंपनी का नाम और पता)

परिशिष्ट 'बी'

रिपोर्ट प्रपत्र — कनाडा — ऋण — दिनांक
के अन्तर्गत प्रत्येक मास आयात लाइसेंस के लिए एक
को अन्त होने वाले त्रैमासिक के लिए रिपोर्ट ।
(जहाज तक निशुल्क तथा कनाडा डालर में सभी आंकड़े)

1. ऋण का नाम तथा समझौते की तिथि
2. आवंटित धन राशि
3. प्राप्त किए गए आयात लाइसेंस की सं०, दिनांक तथा मूल्य ।
4. रिपोर्ट के अन्तर्गत त्रैमासिक के अन्त तक दिए गए
आदेशों का कुल मूल्य ।
5. प्रत्येक अनुवर्ती त्रैमासिक में शेष धन राशि
के लिए जिन आदेशों को देने की संभावना है
उन का कुल मूल्य
6. इस रिपोर्ट के अन्तर्गत त्रैमासिक के अन्त
तक ऋण में से ली गई धन राशि
7. प्रत्येक अनुवर्ती त्रैमासिक में ली जाने वाली
अनुमानित राशि ।

हस्ताक्षर —————

आयातक का नाम तथा पता —————

परिशिष्ट 'ई'

बैंक गारंटी की रिहाई के लिए आवेदन पत्र
(आवेदन पत्र आयातक के बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, आयातक द्वारा नहीं)

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
जीवन दीप बिल्डिंग , पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

महोदय,

हम अपनी बैंक गारंटी सं० ————— दिनांक ————— के अन्तर्गत
रुपये के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने में हमारे द्वारा निक्षेप
किए गए रुपयों की विस्तृत सूचना नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं कि बैंक गारंटी
मुक्त की जाए और हमें वापस की जाए :—

1. जिस आयातक/लाइसेंसधारी की ओर से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी उसका नाम और
पूरा पता ।

2. लाइसेंस की संख्या, तिथि, मूल्य और हम के अधीन आयात के लिए अनुमित पण्य वस्तु का संक्षिप्त विवरण।

3. सी० आई० डी० ए० को पुष्टिकरण के लिए आदेश अग्रसारित करने समय वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकरण (णों) का व्योरा :—

- (क) पत्र संख्या और दिनांक
- (ख) प्राधिकरण की धनराशि
- (ग) ऋण संख्या का व्योरा

4. किए गए आयातों और रुपया निक्षेप का व्योरा (प्रत्येक प्राधिकरण के लिए अलग अलग दिया जाना है) :—

- (क) प्रत्येक भुगतान से सम्बन्धित बीजक संख्या और दिनांक
- (ख) बीजक की धनराशि डालर में (नहीं)।
- (ग) रुपये निक्षेप की धन राशि।
- (घ) सम्बद्ध चानान संख्या और दिनांक और राजकोष / बैंक का नाम
- (ङ) यदि डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया गया है, तो उसकी संख्या और दिनांक और जिस पत्र के साथ डिमान्ड ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी दिल्ली को भेजा गया था, उसकी संख्या और दिनांक।

5. प्रत्येक प्राधिकरण में उपयोग की गई और शेष अनुपयोग की गई धनराशि (डालर में)

II. हम प्रमाणित करते हैं कि :—

- (1) *वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण (णों) में उपलब्ध—
डालर का बाकी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है/उपयोग नहीं किया जायगा।
- (2) भारत में अभिकर्ता का कमीशन जहां देय है, लाइसेंस तथा प्राधिकरण पत्र (त्रों) को शासित करने वाली शर्तों के अनुसार चुका दिया गया है / दिए गए हैं। और
- (3) गारंटो के अन्तर्गत हमारे दायित्वों से कृपया हमें मुक्ति दी जाए और बैंक गारंटी को रद्द करने के लिए हमें लौटाया जाए।

भवदीय,

प्राधिकृत अभिकर्ता
कृते बैंक और बैंक की ओर से।

* जो भी लागू हो।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात- निर्यात।